केंद्रीय माल व सेवाकर एवं कें. उत्पाद शुल्क आयुक्तालय : सूरत
C G S T & Central Excise Commissionerate: Surat
सी जी एस टी बिल्डिंग, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001
C G S T Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat

विशेष आदेश : **2021-22**

जाँच-बिंदु (CHECK POINT)

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी है कि वह यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम,1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जाँच-बिंदु बनाये। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाये गए वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के अनुसार जाँच-बिंदु स्थापित करना अपेक्षित है ताकि हिंदी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं का त्वरित कार्यांवयन किया जा सके।

2. तद्नुसार निम्नलिखित जाँच-बिंदु स्थापित किये जा रहें है, जिन पर सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अमल किया जाना अपरिहार्य है:-

(I). राजभाषा नियम,1976 के नियम-11 की व्यवस्थाओं के अनुपालन के लिए जाँच-बिंदु।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार रबर स्टाम्प, नाम पट्ट, साइन बार्ड, फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक इत्यादि द्विभाषी रुप में हिंदी के अक्षर ऊपर रखते हुए बनवाना जरुरी हैं। मुख्यालय और मंडलों के प्रशासनिक अधिकारी जो इन मदों की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित सभी वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी के अक्षर ऊपर रखते हुए तैयार की जाती हैं।

(II). सामान्य आदेश अनिवार्यत: हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करने के लिए जाँच-बिंदु।

सामान्य आदेश जैसे- स्थापना आदेश, छुट्टी पेशगी के मंजूरी आदेश और अधिसूचनाएं आदि के प्रारूपों का अनुमोदन करते समय संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संबंधित प्रारूप उन्हें हिंदी और अंग्रेजी में पेश किए जाते हैं।

यदि विशेष परिस्थितियों में कोई सामान्य आदेश केवल हिंदी या अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक हो तो इसके लिए संयुक्त आयुक्त/ अपर आयुक्त (कार्मिक व सतर्कता) से अनुमति प्राप्त कर ली जाएं तथा ऐसे दस्तावेजों के हिंदी या अंग्रेजी रुपान्तर भी अधिकाधिक तीन दिन के भीतर जारी कर दिए जाएं।

(III). राजभाषा नियमावली के नियम-5 के अनुपालन के लिए जाँच–बिंदु।

राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना आवश्यक है। तद्नुसार हिंदी में मिले पत्र के उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित उत्तर हिंदी में ही भेजा जाता है। इस संबंध में प्रत्येक टेबल पर निर्धारित प्रोफार्म में रिजस्टर भी रखे जाएंगे, जिनकी समय–समय पर जाँच की जायेगी।

(IV). 'क' और 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र।

मुख्यालय का प्रेषण अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए जॉच- बिंदु के तौर पर काम करेगा कि क्षेत्र 'क'

और 'ख' की राज्य सरकारों को जानेवाले पत्र प्रेषण के लिए तभी स्वीकार किये जाते है जब वे हिंदी में हो अथवा उनका हिंदी अनुवाद साथ हो। इन राज्यों को अंग्रेजी में पत्र भेजने की अनुमति देने के लिए संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त (कार्मिक व सतर्कता) से संपर्क किया जाना चाहिए। संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त यह देखें कि इस प्रकार की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएं, सामान्य तौर पर नहीं।

(V). लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना।

मुख्यालय का प्रेषण अनुभाग यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच-बिंदु के तौर पर काम करेगा कि क्षेत्र 'क' और 'ख' को जानेवाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएं(क्षेत्र 'क' और 'ख' की परिभाषा के लिए राजभाषा नियम 1976 का नियम 2(च) देखें।

(VI). सेवा पंजियों में प्रविष्टिया।

मुख्यालय की लेखा अनुभाग(व्यय) और मंड़लों के प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ग 'ख' और 'ग' के कर्मियों की सेवा-पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाती है।

(VII). सामान्य जिम्मेदारी।

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिंदी में या हिंदी–अंग्रेजी दोनों में जारी होने चाहिए या जो दस्तावेज हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हो, वे उसी रुप में जारी होते है, यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अत: हस्ताक्षर से पूर्व इन अधिकारियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे पत्र, परिपत्र या दस्तावेज आदि हिंदी में या द्विभाषिक रुप में जारी किए जाते हैं।

3. उक्त पैरा 2 में बनाए गए जाँच-बिंदु किस तरह काम कर रहे है इस बारे में सहायक आयुक्त(राजभाषा) सी जी एस टी एवं सेंट्रल एक्साइज आयुक्तालय, सूरत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर मुख्यालय की राजभाषा कार्यांवयन समिति की बैठक में इन जाँच-बिंदुओं की कार्य-प्रणाली की समीक्षा की जायेगी।

Signed by Vikram Prakash Wani
Date: 21-07-2021 18:00:17
Reason: Approved

आयुक्त

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, सूरत

सेवा में

- अपर आयुक्त (रा.भा., पी&वी), केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, सूरत।
- सभी संयुक्त/उपायुक्त, केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, सूरत।
- सभी मंडल, उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, सूरत।
- सभी अनुभाग, मुख्यालय केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, सूरत।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. निदेशक(राजभाषा)कमरा संख्या 264(A)वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
2. सचिव, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
3. सचिव,गृह मंत्रालय,राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली।
4. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(पश्चिम), के. सदन, सेक्टर 10,सी.बी.डी.बेलापुर,नवी मुंबई
5 मुख्य आयुक्त, वस्तु ,सेवाकर एवं सीमा शुल्क, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
6 सहायक निदेशक, नराकास सूरत, कमरा नं.509 मुख्य आयकर भवन मजुरा गेट सूरत।
7. सहायक निदेशक(रा.भा.) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क वडोदरा, रेस कोर्स सर्किल वडोदरा-390007
8. अतिरिक्त महानिदेशक, करदाता सेवा, अहमदाबाद जोन, 5 वी मंजिल, नियर- सोला फ्लाई ऑवर, एस. जी.

हाईवे के सामने , अहमदाबाद-380060 ।

9. फॉइल कापी ।